सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 267 दर्ज तिथिः—22.08.2022

1. टीकू पुत्र उम्मेदा
2. चैनी पत्नी उम्मेदा
3. सोभा पुत्र काना
4. भंवरा पुत्र फगलू
5. सादूला पुत्र नवा
6. हीरा पुत्र उम्मेदा फौत के कायम मुकाम
   6 / 1 पुखराज पुत्र हीराराम
   6 / 2 अशोक पुत्र हीराराम
   6 / 3 नरपत पुत्र हीराराम
   6 / 4 सुजीया पत्नी हीराराम
7. ठाकरा पुत्र नवा
8. झीमादेवी पत्नी चैनाराम
9. जगराम पुत्र चैनाराम
10. भूराराम पुत्र चैनाराम
11. चुकीदेवी पत्नी वनाराम
12. चूनाराम पुत्र फगलूराम फौत के कायम मुकाम
    12 / 1 मिसराराम पुत्र चुना
    12 / 2 केसाराम पुत्र चुना
    12 / 3 हड़मानराम पुत्र चुना
    12 / 4 ओमप्रकाश पुत्र चुना
    12 / 5 दमीदेवी पत्नी चुनाराम

    जाति मेगवाल निवासी नया कुआं पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा

.....वादी

बनाम

1. माना पुत्र तुलछा
2. भागीरथ पुत्र तुलछा
3. भूराराम पुत्र लाखा
4. हेमाराम पुत्र लाखा
5. अणसी पत्नी लाखा
6. किशना पुत्र तुलछा
7. चम्पा पुत्र तुलछा
8. जसाराम पुत्र लाखा
9. पूनमाराम पुत्र खूमाराम
10. खेराजराम पुत्र मोटाराम
11. चूनाराम पुत्र भैराराम
12. डूंगराराम पुत्र भैराराम फौत के कायम मुकाम
    12 / 1 अशोक पुत्र डूंगरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

12 / 2 भुरा पुत्र डूंगरा
12 / 3 धीमा पुत्र डूंगरा
12 / 4 पता पुत्र डूंगरा
12 / 5 तेजा पुत्र डूंगरा
12 / 6 चनणी पत्नी डूंगराराम
13. रेखा पुत्र भैरा
14. लिखमा पुत्र भैरा
जाति मेगवाल निवासी नया कुआं पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा
................असल प्रतिवादीगण

15. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर
..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री हरिराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102 / 8.9112 है0, 102 / 3 / 8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त पैतृक खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादीगण का उक्त पैतृक आराजी पर वक्त सेटलमेंट से निर्बाध रूप से कब्जा—काश्त चला आ रहा है। वादीगण की कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ौस में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 100 एवं 103 मौजा नया कुआं में अवस्थित है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश करवा ली गई है। प्रतिवादीगण बिना सीमाज्ञान एवं बिना नेखमबंदी के वादी के खेत की पुरानी माठ को तोड़ते हुए अनाधिकृत रूप से वादी की खातेदारी आराजी में प्रवेश करने पर अमादा हुए। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपना कब्जा मानकर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन हाजिर न्या[illegible] हुए तथा वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण [illegible] खातेदारी आराजी खसरा संख्या 103 एवं 100 मौजा नया कुआं में अवस्थित [illegible]। जिसके वर्तमान खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

223 / 103, 222 / 103, 227 / 100, 217 / 103 एवं 219 / 103 संधारित हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रतिकूल कब्जे को लेकर प्रस्तुत किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग—अलग जाति समुदाय के लोग हैं एवं वक्त सेटलमेंट से पूर्व पृथक—पृथक आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया एवं सीमाज्ञान के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पक्की नेखमबंदी हेतु हाजा न्यायालय में नेखमबंदी कार्यवाही हेतु आवेदन बउनवान खेराज बनाम उमा एवं अणसी बनाम उमा प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु हाजा न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की। इससे कुरूद्ध होकर एवं प्रतिवादीगण की नेखमबंदी की कार्यवाही को रूकवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। अतः वादी का वाद—पत्र सारहीन होने के कारण काबिज—ए—खारिज है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102 / 8.9112 है0, 102 / 3 / 8.6845 है0, मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।*

   ....वादी

2. *आया वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर मेड़ तोड़कर अतिक्रमण करने के प्रयासों को स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के माध्यम से गलत रूप से प्रस्तुत कर वादीगण अपने वास्तविक कब्जे काश्त से अधिक भूमि पर काबिज होने का प्रयास करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

   ....प्रतिवादी

3. *आया वादीगण द्वारा प्रतिवादी के अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी के आवेदन को रोकने के लिए उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

   ....प्रतिवादी

4. *अन्य दादरसी*

   ....उभय—पक्षकारान

3. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कियेः—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
नक्शा	खसरा संख्या 102 / 3 मौजा नया कुआं	प्रदर्श—01
नक्शा	खसरा संख्या 102 मौजा नया कुआं	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 34 मौजा 2075—2078	प्रदर्श—03
—	मुतनाजा आराजी के सेढा की छायाप्रति	प्रदर्श—4ए से 6ए

4. वादी द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दियत	निवासी
1.	भूराराम पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल	अंबेडकर नगर (नया कुआं) तहसील नोखड़ा
2.	रूघाराम पुत्र शोभाराम जाति मेगवाल	अंबेडकर नगर (नया कुआं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

		तहसील नोखड़ा
3.	भंवराराम पुत्र फगलूराम जाति मेगवाल	अंबेडकर नगर (नया कुआं) तहसील नोखड़ा
4.	भीखाराम पुत्र तुलसाराम जाति मेगवाल	अंबेडकर नगर (नया कुआं) तहसील नोखड़ा

5. प्रकरण में भूराराम पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल पी.डब्ल्यू.—01, रूघाराम पुत्र शोभाराम जाति मेगवाल पी0डब्ल्यू0—2, भंवराराम पुत्र फगलूराम जाति मेगवाल पी0डब्ल्यू0—3, भीखाराम पुत्र तुलसाराम जाति मेगवाल पी0डब्ल्यू0—4 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102 / 8.9112 है0, 102 / 3 / 8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त पैतृक खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादीगण का उक्त पैतृक आराजी पर वक्त सेटलमेंट से निर्बाध रूप से कब्जा—काश्त चला आ रहा है। वादीगण की कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ौस में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 100 एवं 103 मौजा नया कुआं में अवस्थित है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश करवा ली गई है। प्रतिवादीगण बिना सीमाज्ञान एवं बिना नेखमबंदी के वादी के खेत की पुरानी माठ को तोड़ते हुए अनाधिकृत रूप से वादी की खातेदारी आराजी में प्रवेश करने पर अमादा हुए। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपना कब्जा मानकर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
- मैंने वाद के साथ प्रदर्श—1 खसरा संख्या 102 / 3 का नक्शा, प्रदर्श—2 खसरा संख्या 102 का नक्शा, प्रदर्श—3 जमाबंदी नकल खसरा संख्या 102 व 102 / 3, प्रदर्श—4ए विवादग्रस्त खेत फोटो की फोटोकॉपी जिसका असल फोटो प्रदर्श—4 है, प्रदर्श—5ए विवादग्रस्त खेत फोटो की फोटोकॉपी जिसका असल फोटो प्रदर्श—5 है, प्रदर्श—6ए विवादग्रस्त खेत फोटो की फोटोकॉपी जिसका असल फोटो प्रदर्श—6 है।

6. प्रकरण में भूराराम पुत्र चेनाराम पी.डब्ल्यू.—01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि:—

- मेरा नाम भूराराम है। मेरा गांव अंबेडकर है। यह दावा नयाकुंआ गांव का है। यह दावा इसलिए किया गया है कि हमारे खेत की पुरानी माठो को तोड़कर हमारे खेत में घुसे तब दावा किया। इसकी रिपोर्ट मैंने नही की है। मैंने मेरे खेत का नाप नहीं करवाया तथा मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरा खेत पूरा है या नहीं। मेरा खेत 22 बीघा का है जो चेना के नाम का है। हम चेना के वारिस है। आज दिन तक इस का खेत का नाप—तोल नहीं करवाया। हमारे खेत के सेढ़े डामर सड़क निकाल ली गई [illegible] पिता के हिस्से में 10 ढाणिया है। शपथ पत्र में प्रस्तुत फोटो में एक [illegible] ढाणी नही है यह बात सही है अज खुद कहा कि यह फोटो माली के है। मैंने प्रद[illegible] 4, 5, 6, 7 पेश किए है जिसमें 200

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

साल पुराने के रूखड़े दिख रहे है। जो मेरे दादा ने लगाए है। हमारे खेत की पूर्व में हमारे द्वारा कोई नेखमबंदी नही करवाई है ना ही किसी पड़ौसी ने करवाई है। हमारे खेत के पड़ौसी खेराज वगैरा ने पैमाईश नहीं करवाई हमने कभी देखा ही नहीं। हमने जो सड़क निकलवाई है जो कटटाण पर निकलवाई है। सड़क हमारे खेत के बीचो बीच कटी हुई है। यह दावा पूरा कानाराम के परिवार का है। हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र हमारे द्वारा बोला गया और वकील साहब ने लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है। अज खुद कहा कि मैने जो शब्द बोले वो वकील साहब ने लिखे। पड़ौसी यदि अपने खेत का नाप करवाए तो मुझे कोई ऐतराज नही है लेकिन मेरी खेत की पुरानी माठे नहीं तोड़े और मेरा खेत का नाप पुरा करवाते हुए। मैने शपथ पत्र में दो तीन जगह हस्ताक्षर किए है। मेरे खेत का खसरा संख्या 102, 101 है। यह दावा कब किया मुझे तारीख याद नहीं है।

7. प्रकरण में रूघाराम पुत्र शोभाराम पी.डब्ल्यू.—02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया किः—
   - मेरा नाम रूघाराम है मैं अनपढ़ हूं। मैंने शपथ पत्र पेश किया वह कौनसी तारीख को पेश किया मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। शपथ पत्र में हमारे खेत के बारे में लिखा हुआ हैं जिसके खसरा संख्या 102 है। खेत हमारे सभी भाईयों का सामलाती है जो 120 बीघा का है। इस खेत के सेढ़े पड़ौसी पूर्व दिशा में गोदारा जाट है, पश्चिम दिशा में जाट व चिनिया मेघवाल है। उत्तर दिशा में गोलिया के बाबू वगैरा है। दक्षिण दिशा में भी जाटों का खेत है। यह दावा हमने खेत के सेढ़े के विवाद के कारण पेश किया है। मेरे पड़ौसी ने खेत का नाप तोल किया हो तो मुझे पता नही क्योंकि मुझे बुलाया नहीं। वर्तमान में जो सड़क चल रही है वह जहा कटटाण है वहा चल रही है। अज खुद कहा कि खेत के बीचोंबीच चल रही है। माठ के फौटो हमने भेजे है। माठ में दरखत है जो नीमड़ा, थोर व दस फुट की सीणे है। यह दरखत आंधी से खिरे है बाकी कुछ नही हुआ है। हमने हमारे खेत का नाप नही करवाया है।

8. प्रकरण में भंवराराम पुत्र फगलूराम पी.डब्ल्यू.—03 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया किः—
   - मेरा नाम भंवराराम है। मैं अनपढ़ हूं। मैं इस खेत का पड़ौसी हूं। इनको मैं दौ सौ से अधिक वर्षों से जानता हूं। मैंने शपथ पेश किया उसकी तारीख मुझे याद नही हैं। शपथ पत्र में दो जगह अगुंठे किए हुए है। शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ कर नहीं सुना सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। मेरे खेत के पूर्व दिशा में जाटों का खेत है। पश्चिम दिशा में पड़ौसी चिनिया मेघवालों का खेत है। हमने हमारे खेत का कभी नाप नही करवाया। हमारा खेत 120 बीघा का है। चिनियों ने अभी अपने खेत का नाप नही करवाया है।

9. प्रकरण में भीखाराम पुत्र तुलसाराम पी.डब्ल्यू.—04 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया किः—
   - मेरे खेत के खसरा संख्या 101 हैं। यह खेत गांव नया कुआं में आया हुआ है। वादी जो मेरे भाई हैं इसलिये मैं उन्हें पहचानता हूं। हम लिक्ष्मणाणी परिवार हैं। छिनियां परिवार का खेत खसरा संख्या 100 है और रकबा भी 100 के करीब हैं। उनका खेत पूरा है। कि खसरा संख्या 101 का नाप हुआ हो तब मैं कीीी मौके पर नहीं गया। कि खेत खसरा संख्या 101 में सड़क है। कि खसरा संख्या 101 के सेढे में थोर, बबूल व सीढे [illegible] बंदी की हुई है। कि मेरी उम्र 52 साल है, मैंने उक्त खसरे को [illegible] जुताई नहीं की। 2 वर्ष से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

जुताई नहीं की हुई नहीं है। कि मैं आज झूठे बयान देने के लिये कोर्ट में नहीं आया हूं।

10. प्रकरण में वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत कियेः–

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
1.	जसराज पुत्र लाखाराम जाति मेगवाल	अंबेडकर नगर (नया कुआं) तहसील नोखड़ा
2.	सुखराम पुत्र खेराजराम जाति मेगवाल	अंबेडकर नगर (नया कुआं) तहसील नोखड़ा

11. प्रकरण में जसराज पुत्र लाखाराम डी.डब्ल्यू.–01 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये–

- मैं जसराज पुत्र लाखाराम उम्र 32 वर्ष जाति मेगवाल निवासी अंबेडकर नगर नया कुआ तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर वाला शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरी खातेदारी खेत मूल खसरा संख्या 103 व 100 के टुकड़े होने से वर्तमान खसरा संख्या 223/103, 222/103, 227/100, 217/103, 219/103 वादी और प्रतिवादी के मध्य वर्षों से बंटवाड़ा हो रखा है जिसके पश्चिम सेढे सरकारी कटाण मार्ग व एक विद्यालय आया हुआ है। हमारी खातेदारी नेखमबंदी आदेश अनवान खेराज बनाम उमा, अणसी बनाम उमा, चूना बनाम हीरा वगैरा आदेश पूर्व में हो रखे है मगर मौके पर नेखमबंदी निष्पादित हुई लेकिन उक्त खसरों का सीमाज्ञान आज से चार वर्ष पहले करवा रखा है। हमारे खसरे में सेढे पड़ौसी अक्सर माठ तोड़ना, कणे को लेकर विवाद करना इत्यादि विगत चार पांच सालो से चला आ रहा है।

12. प्रकरण में जसराज पुत्र लाखाराम डी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया किः–

- मैं कानाराम वल्द उदा को जानता हूं। काना वल्द उदा के खेत खसरा संख्या 101 है। खूमा, मोटा व भेरा को मैं जानता हूं। अज खुद कहा कि मैरे दादाजी है। खूमा, मोटा व भेरा के जब जमीन नपी थी उस समय खसरा संख्या क्या था– मूल खसरा ही था। खूमा, मोटा, भेरा के जमीन नपी तब कुल कितने खसरे थे मुझे पता नही। मैं खूमा, मोटा और भेरा के परिवार से हूं। खूमा, मोटा व भेरा के उतर दिशा में मंगलाराम, हीराराम, बाबू, तिला वगैरा है। उत्तर पश्चिम में पड़ौसी ताजाराम पुत्र हेमाराम है। पश्चिम दिशा में साजनराम, लालाराम है। साजनराम व लालाराम के खेत खसरा सख्या याद नही है। ताजाराम व मंगलाराम, हीराराम के खेत खसरा संख्या याद नहीं है। दक्षिण–पश्चिम के पड़ौसी पूनमाराम, शेराराम, गोरखाराम वगैरा है। दक्षिण दिशा में बनाराम, रूगाराम, भूराराम, जगराम, सादुलाराम, ठाकराराम है। पूर्व दिशा में घमण्डाराम पुत्र हरचन्दराम, करनाराम पुत्र हरचन्दराम, वेहनाराम पुत्र ईराराम है। उत्तर पूर्व में पड़ौसी हीराराम व मंगलाराम है। पूर्व व दक्षिण के बीच में ठाकराराम, रूगाराम पड़ौसी है। सेटलमेंट में काना पुत्र उदा का खेत अलग ही नपा था। व उनके खसरा संख्या भी अलग थे। कब्जे के अनुसार नपा या कब्जे के अलावा नपा मुझे पूरी पुख्तावट नहीं है। खूमा, मोटा, भेरा का खेत अलग नपा या नही नपा मुझे पता नही है। खूमा, मोटा, भेरा का खेत सेटलमेंट के समय कब्जे के अनुसार नपा हो तो मुझे पता नहीं। य नेखमबंदी में सेढा पड़ौसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

गोरखाराम, शेराराम, साजनराम, लालाराम, ताजा, हेमा, पूनमाराम इत्यादि को पक्षकार बनाया और नोटिस भेजा हो तो मुझे पता नही।

13. प्रकरण में सुखराम पुत्र खेराजराम डी.डब्ल्यू.—02 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये—

- मैं सुखराम पुत्र खेराजराम उम्र 38 वर्ष जाति मेगवाल निवासी अंबेडकर नगर नया कुआ तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर वाला शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरी खातेदारी खेत के पूर्व दक्षिण सेढा भूराराम पुत्र चेना, वना पुत्र शोभा, रूगा पुत्र शोभा जो अक्सर मेरे कणे को लेकर विवाद पैदा करते है। कि सेढ़े से आगे की जमीन को भूरा, वना, रूगा वगैरा जबरदस्ती जोत देते है।

14. प्रकरण में सुखराम पुत्र खेराजराम डी.डब्ल्यू.—02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया किः—

- मैं खूमा, मोटा व भेरा को जानता हूं। यह थानाराम के बेटे है। कानाराम पुत्र उदाराम को जानता हूं। मैं साजन पुत्र चेना, लालाराम पुत्र चेनाराम को जानता हूं यह मेरे खेत के सेढ़ा पड़ौसी है। लाला व साजन का खेत मेरे खेत के पश्चिम दिशा में आया हुआ है। मैं ताजा पुत्र हेमाराम को जानता हूं। यह भी मेरे खेत के सेढे पड़ौसी है। इनका खेत भी मेरे खेत के पश्चिम दिशा में आया हुआ है। मैं गोरखा, पुनमा व शेराराम को जानता हूं। जो मेरे खेत के सेढ़ा पड़ौसी है जो मेरे खेत के दक्षिण दिशा में है। मेरे खेत के मूल खसरा संख्या कितने है मुझे याद नही है। यह खेत कितने बीघे का है मुझे याद नही है। बंटवाडा के बाद मूल खसरा के कितने खसरे बने मुझे पता नही है। बंटवाडा के बाद कितने कितने बीघा किस किस के हिस्से में आया वो भी मुझे याद नहीं। खेराज ने अपने खेत की नेखमबंदी आदेश करवाया मुझे ध्यान है। नेखमबंदी में साजन, लाला, ताजा पुत्र हेमा, गोरखाराम, पुनमाराम व शेरा को पक्षकार नही बनाया क्योंकि इनसे हमारी जमीनी सहमति है। जमीनी विवाद नहीं है। साजन के खसरा संख्या 113 हो तो मुझे याद नहीं। साजन के पास हमारी दो बीघा जमीन अधिक है तो भी उससे कोई विवाद नहीं है क्योंकि हमारी सहमति है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में साजन हमारी भूमि के अन्दर आ रहा है फिर भी हमने सीमाज्ञान में नही लिखवाया क्योंकि साजन से हमारे कोई विवाद नहीं है। अज खुद कहा कि भूरा पुत्र चेना, जगराम पुत्र चैना, रूगा पुत्र शोभा व वना शौभा से पूर्व दिशा के सेढे को लेकर विवाद है।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए उक्त दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

16. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

188. Injunction against wrongful eject—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his

> *landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यव[illegible] / घुसपैठ से होने वाले नुकसान [illegible] आंकलन हेतु [illegible]	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102 / 8.9112 है0, 102 / 3 / 8.6845 है0 [illegible] पटवार हल्का मंगले की बेरी तह[illegible]ड़ा पर वादीगण के खातेदारी [illegible] आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं [illegible] हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

	मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

		3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें।
		4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादीगण की आराजी की नेखमबंदी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखते हुए वादी का वाद स्वीकार किये जाने सहमति जाहिर की गई है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी की नेखमबंदी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण की पृथक खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं तथा प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संधारित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी पर नेखमबंदी की कार्यवाही हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर विवादित सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर नेखमबंदी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 267 दर्ज तिथिः—22.08.2022

1. टीकू पुत्र उम्मेदा
2. चैनी पत्नी उम्मेदा
3. सोभा पुत्र काना
4. भंवरा पुत्र फगलू
5. सादूला पुत्र नवा
6. हीरा पुत्र उम्मेदा फौत के कायम मुकाम
   6 / 1 पुखराज पुत्र हीराराम
   6 / 2 अशोक पुत्र हीराराम
   6 / 3 नरपत पुत्र हीराराम
   6 / 4 सुजीया पत्नी हीराराम
7. ठाकरा पुत्र नवा
8. झीमादेवी पत्नी चैनाराम
9. जगराम पुत्र चैनाराम
10. भूराराम पुत्र चैनाराम
11. चुकीदेवी पत्नी वनाराम
12. चूनाराम पुत्र फगलूराम फौत के कायम मुकाम
    12 / 1 मिसराराम पुत्र चुना
    12 / 2 केसाराम पुत्र चुना
    12 / 3 हड़मानराम पुत्र चुना
    12 / 4 ओमप्रकाश पुत्र चुना
    12 / 5 दमीदेवी पत्नी चुनाराम

    जाति मेगवाल निवासी नया कुआं पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा

.....वादी

बनाम

1. माना पुत्र तुलछा
2. भागीरथ पुत्र तुलछा
3. भूराराम पुत्र लाखा
4. हेमाराम पुत्र लाखा
5. अणसी पत्नी लाखा
6. किशना पुत्र तुलछा
7. चम्पा पुत्र तुलछा
8. जसाराम पुत्र लाखा
9. पूनमाराम पुत्र खूमाराम
10. खेराजराम पुत्र मोटाराम
11. चूनाराम पुत्र भैराराम
12. डूंगराराम पुत्र भैराराम फौत के कायम मुकाम
    12 / 1 अशोक पुत्र डूंगरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested

12/2 भुरा पुत्र डूंगरा
12/3 धीमा पुत्र डूंगरा
12/4 पता पुत्र डूंगरा
12/5 तेजा पुत्र डूंगरा
12/6 चनणी पत्नी डूंगराराम
13. रेखा पुत्र भैरा
14. लिखमा पुत्र भैरा
जाति मेगवाल निवासी नया कुआं पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा
.....असल प्रतिवादीगण

15. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री हरिराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 102/8.9112 है0, 102/3/8.6845 है0 मौजा नया कुआ पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर नेखमबंदी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

यह डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाई गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:27 IST
Reason: SelfAttested